

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

प्रश्न संख्या : 113
09 , 2018 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

इ

* 113. श्री रत्न लाल कटारिया:
श्री प्रसून बनर्जी:

क्या स्थिति यह बताने को कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत में एचआईवी के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों के कारण गत तीन वर्षों के दौरान देश में एचआईवी रोगियों की संख्या में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या एचआईवी फैलाने वाले नए हॉट-स्पॉट उभर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;
- (ग) देश में एचआईवी/एड्स के रोगियों की संख्या कितनी है तथा आज की तिथि के अनुसार पाए गए मामलों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
- (घ) क्या सरकार देश में एचआईवी रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा तथा दवाइयां उपलब्ध कराती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को कितनी राशि आवंटित/जारी की गई है; और
- (ङ) क्या किसी अन्य देश ने एड्स के उपचार के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार की सहायता कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है?

त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(क): जी हाँ। भारत म एचआईवी को व्याप्तता को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले जन जागरूकता कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप, पिछले तीन वर्षों में एचआईवी को संख्या म गिरावट आई है। पिछले तीन वर्षों म एचआईवी ग्रस्त लोगों (पीएलएचआईवी) को संख्या का विवरण इस प्रकार से है:

	2015	2016	2017
पीएलएचआईवी को अनुमानित संख्या	21,16,581	21,10,021	21,06,706

(ख): मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा म एचआईवी के नए हॉटस्पॉट उभर रहे ह। इसका कारण सूई से नशा करने वाले (आईडीयू) और असुरक्षित यौन संबंध बनाने वाले लोगों का उच्च जोखिम वाला व्यवहार है। देश म एचआईवी/एड्स महामारी को रोकने के लिए सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों हेतु प्रोजेक्ट सनराइज को शुरूआत को है और वर्ष 2017-24 हेतु एचआईवी/एड्स व एसटीआई के लिए 7 वर्षीय रणनीतिक योजना तैयार को है।

(ग): एंटी-रेट्रोवायरल थिरेपी (एआरटी) कराने वाले एचआईवी ग्रस्त लोगों (पीएलएचआईवी) को संख्या दिसम्बर, 2017 तक 11,81,125 है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या अनुलग्नक-1 पर है।

वर्ष 2017 के नवीनतम पहचान किए गए एचआईवी रोगियों को संख्या (दिसम्बर, 2017 तक) 1,91,493 है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या अनुलग्नक-2 पर है।

(घ): राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के तहत, सरकार रोकथाम, काउंसलिंग, जाँच व उपचार सेवाओं के व्यापक पैकेज को व्यवस्था करती है, जिसम एंटी रेट्रोवायरल (एआरवी) औषधों, अवसरवादी संक्रमणों(ओआई) को जाँच व उपचार का निःशुल्क प्रावधान शामिल है। जाँच व उपचार सुविधा-केन्द्रों हेतु राज्यवार आवंटन व जारी को गई राशि अनुलग्नक-3 पर है।

एआरवी औषधियों व जाँच किट सरकार द्वारा केन्द्रीय स्तर पर खरीदी जाती ह। केन्द्रीय स्तर पर वर्षवार आवंटन व व्यय अनुलग्नक-4 पर है।

(ङ): जी नहीं। एनएसीपी भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित केन्द्रीय क्षेत्र को स्कोम है।

दिसंबर, 2017 को स्थिति के अनुसार एआरटी वाले पीएलएचआईवी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	108
आंध्र प्रदेश	1,72,666
अरुणाचल प्रदेश	93
असम	5,704
बिहार	43,424
चंडीगढ़	5,637
छत्तीसगढ़	12,404
दिल्ली	26,498
गोवा	2,817
गुजरात	61,540
हरियाणा	10,739
हिमाचल प्रदेश	3,913
जम्मू और कश्मीर	2,307
झारखंड	8,730
कनाटक	1,52,841
केरल	12,659
मध्य प्रदेश	21,851
महाराष्ट्र	2,39,014
मणिपुर	12,309
मेघालय	1,725
मिजोरम	6,623
नगालड	7,289
ओडिशा	16,744
पुडुचेरी	1,192
पंजाब	26,841
राजस्थान	35,943
सिक्किम	167
तमिलनाडु	1,11,506
तेलंगाना	73,360
त्रिपुरा	1,174
उत्तर प्रदेश	64,999
उत्तराखंड	3,476
पश्चिम बंगाल	34,832
भारत	1,18,1125

2017 म पहचाने गए एचआईवी पॉजिटिव

क्र.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या ()
1	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	28
2	आंध्र प्रदेश	24,580
3	अरुणाचल प्रदेश	28
4	असम	1,590
5	बिहार	11,757
6	चंडीगढ़	640
7	छत्तीसगढ़	3,276
8	डीएनएच	111
9	दमन और दीव	50
10	दिल्ली	6,446
11	गोवा	390
12	गुजरात	11,017
13	हरयाणा	4,620
14	हिमाचल प्रदेश	512
15	जम्मू और कश्मीर	357
16	झारखंड	1,751
17	कनाटक	20,035
18	केरल	1,284
19	मध्य प्रदेश	4,981
20	महाराष्ट्र	28,749
21	मणिपुर	1,102
22	मेघालय	820
23	मिजोरम	2,174
24	नगालड	1,805
25	ओडिशा	3,300
26	पुडुचेरी	490
27	पंजाब	6,438
28	राजस्थान	7,197
29	सिक्किम	20
30	तमिलनाडु	10,667
31	तेलंगाना	12,073
32	त्रिपुरा	299
33	उत्तर प्रदेश	15,515
34	उत्तराखंड	959
35	पश्चिम बंगाल	6,432
		191,493

-केन्द्रों को देने के लिए राज्यों को किया गया आवंटन व जारी राशि (लाख रु. म)							
क्र.	ज	2015-16		2016-17		2017-18*	
1	अण्डमान और निकोबार	52.08	36.30	51.52	51.52	49.88	49.09
2	आंध्र प्रदेश	2130.32	1429.21	2012.33	2007.13	2123.70	2090.04
3	बिहार	1436.73	833.74	1392.22	1389.50	1404.19	1170.17
4	चंडीगढ़	148.46	119.00	138.48	138.24	141.04	138.80
5	छत्तीसगढ़	605.87	361.05	591.55	591.55	572.14	563.08
6	डी एंड डी	14.38	13.27	14.28	14.28	14.38	11.99
7	दिल्ली	761.82	830.44	728.33	728.33	768.33	756.15
8	डीएनएच	5.83	7.11	5.78	5.78	5.82	4.85
9	गोवा	100.51	87.01	96.39	96.39	97.16	95.62
10	गुजरात (अहमदाबाद सहित)	2033.91	1380.20	1955.27	1955.27	1950.81	1919.89
11	हरियाणा	527.58	306.26	515.94	515.94	485.15	477.46
12	हिमाचल प्रदेश	352.22	292.33	341.95	341.95	344.63	339.17
13	जम्मू और कश्मीर	202.01	147.09	196.95	194.35	198.46	195.32
14	झारखंड	531.37	357.67	513.26	513.26	508.50	423.76
15	कनाटक	3774.69	2815.43	3575.35	3573.99	3428.17	3373.83
16	केरल	791.50	589.98	770.77	770.77	805.51	792.74

17	लक्षद्वीप	3.62	3.31	3.56	3.56	3.58	1.19
18	मध्य प्रदेश	1234.10	1045.66	1191.41	1191.41	1200.94	1181.91
19	महाराष्ट्र	4846.90	3175.73	4646.10	4646.10	4792.73	4716.77
20	मुंबई जिला	669.65	429.35	634.29	634.29	709.60	698.35
21	ओडिशा	1065.07	696.06	1036.55	1036.55	1058.13	1041.36
22	पांडिचेरी	88.50	89.20	84.87	84.87	78.29	77.05
23	पंजाब	700.00	619.02	673.32	673.32	718.04	706.66
24	राजस्थान	1502.54	998.85	1451.45	1451.45	1462.02	1442.80
25	तमिलनाडु (चेन्नई शामिल)	3090.66	1912.42	2935.21	2935.21	2942.61	2895.97
26	तेलंगाना	1522.49	1086.12	1439.77	1439.77	1348.01	1318.58
27	उत्तर प्रदेश	2648.56	2278.93	2563.20	2563.20	2589.41	2548.37
28	उत्तराखंड	242.11	113.33	263.55	263.55	277.87	273.46
29	पश्चिम बंगाल	1601.94	1225.93	1551.07	1551.07	1522.12	1498.00
		32685.42	23280.00	31374.72	31362.60	31601.22	30802.43
उत्तर पूर्वी राज्य							
30	अरुणाचल प्रदेश	151.60	144.22	167.17	167.17	173.67	144.73
31	असम	510.73	447.29	555.47	555.47	559.51	466.18
32	मणिपुर	558.30	624.47	590.88	590.88	595.67	496.40
33	मेघालय	99.28	110.79	108.64	107.96	110.21	91.39
34	मिजोरम	264.96	277.52	286.08	286.08	290.64	242.20
35	नागालैण्ड	441.16	448.73	476.23	476.23	480.38	400.32
36	सिक्किम	72.30	87.62	78.66	78.66	76.61	63.86
37	त्रिपुरा	129.55	113.56	143.82	143.82	147.84	123.21
		2227.88	2254.20	2406.95	2406.27	2434.53	2028.29
		34913.30	25534.20	33781.67	33768.87	34035.75	32830.72
		2017-18 म 31.01.18 को जारी*					

अनुलग्नक -4

मंत्रालय स्तर पर दवाइयों, जाँच किटों आदि के प्रापण के लिए नाको द्वारा किया गया आवंटन एवं व्यय

आंकड़े करोड़ रुपए म		
वर्ष	आवंटन	उपयोग
2015-16	634.71	633.83
2016-17	658.69	657.81
2017-18	939.03	741.26 *

* 11 जनवरी, 2018 तक पीएओ के दज आंकड़ों के अनुसार किया गया व्यय
